न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या –101/2014/225 आर टी ए

1. मीरादेवी पत्नि सुरेशसिंह पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपूत नरूका० निवासी बी 18, टोटरमल मार्ग बनीपार्क जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. कौशलेन्द्र सिंह पुत्र स्व. सुरेशसिंह पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपूत नरूका० निवासी बी 18, टोटरमल मार्ग बनीपार्क जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. हेमेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सुरेशसिंह पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपूत नरूका० निवासी बी 18, टोटरमल मार्ग बनीपार्क जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलांटस

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामसिंह जाति राजपूत नरूका० निवासी ई–81 प्रेमनगर झोटवाड़ा जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. विनोद पुत्र रामसिंह जाति राजपूत नरूका० निवासी हाल आबाद ए/402 खिरड़ी फाटक रिलांयस फ्रेस के पीछे तारानगर झोटवाड़ा जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–––रेस्पोण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.10.2014 सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व० हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या 97/2009 अनवानी मीरादेवी आदि बनाम जगदीश सिंह आदि

उपस्थित :–

श्री लालचंन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री नरेश कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–02.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा प्रस्तुत करते हुए इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि को ताफैसला दावा कुर्क कर इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने एवं प्रश्गनत कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश गलत व विधि विरूद्ध एवं अनुचित होने के कारण खारिज योग्य है। स्वीकृततः अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 स्व. रामसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस है तथा राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल संख्या 127 दिनांक 23.05.94 के जरिये स्व. रामसिंह के वारिसो के नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज हो चुका था। अपीलांट सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 व 3 के पिता प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार है। प्रश्नगत भूमि का आवंटन स्व. रामसिंह को भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से राजस्थान उपनिवेश्न भाखड़ा परियोजना क्षेत्र मे भूतपूर्व सैनिको को राजकीय भूमि आवंटन० नियम 1955 के प्रावधानो के अन्तर्गत हुआ है। उक्त नियम के नियम 7 के अन्तर्गत 25 बीघा तक आवंटन का प्रावधान है जबकि रेस्पो0 सं. 1 ने यह भूमि राजस्थान उपनिवेशन सहकारी समितियों को भूमि आवंटन० नियम 1959 के अन्तर्गत एक सहकारी समिति को आवंटित होने का कथन किया है। उक्त नियम 1959 के अन्तर्गत सहकारी समिति के एक सदस्य को 15 बीघा की सीमा तक आवंटन किया जा सकता है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त कानूनी स्थिति प्रकट करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया था कि यदि यह भूमि कथित रूप से सहकारी समिति आवंटन नियम 1959 के अन्तर्गत आवंटित होती तो मात्र 15 बीघा का ही आवंटन हो सकता था जबकि वस्तुतः यह भूमि स्व. रामसिंह को भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से आवंटन नियम 1955 के नियम 6 के अनुसार 25 बीघा की सीमा तक हुआ है।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के इस कथन को प्रथम दृष्टयां सिद्ध मानकर भूल की है कि उसे स्व. रामसिंह ने नामित Nominee० नियुक्त किया हो। प्रथमतः तो नामिक व्यक्ति को कोई सम्पति उत्तराधिकार मे प्राप्त नही हो सकती तथा ना ही ऐसा नामित व्यक्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के वारिसों के हक को समाप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की ओर से इस संबंध मे प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतो का कोई विवेचन नही किया। इसके अतिरिक्त राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 1965 की धारा 26 व उक्त अधिनियम के अधीन बने राजस्थान सहकारी समितियां नियम 1966 के नियम 20 के अन्तर्गत किसी वारिस के Nomination के संबंध मे विशिष्ट व आज्ञापक प्रावधान है तथा समिति के किसी सदस्य द्वारा किया गया Nomination तभी वैद्य माना जा सकता है जबकि ऐसा Nomination कम से कम दो साक्षीगण द्वारा हस्ताक्षरित हो। रेस्पो0 सं. 1 के द्वारा जो Nomination प्रस्तुत किया है उस पर दो साक्षीगण के हस्ताक्षर नही है तथा

इस कारण नियम 20 के अन्तर्गत वह वैद्य नामित व्यक्ति नही हो सकता था। अपीलांट प्रश्नगत भूमि मे 1/3 हिस्सा के अभिलिखित खातेदार है तथा उनके उक्त वैद्य अधिकार को रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अवैद्य एवं अनुचित रूप से इन्कार करते हुये उक्त भूमि के मुफाद से वंचित करने से प्रश्नगत भूमि स्पष्टतः In-medio हो चुकी थी तथा माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतो के अनुसरण मे अपीलांट के हितो की रक्षा के लिए उस भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के पर्याप्त आधार थे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन Raj. Colonisation (Bhakra Project- ex-military personal allotment of Land Rules) 1955, Raj. Colonisation (allotment of Land Co-operative Society) Rules 1961, Raj. Colonisation (General Colony Condition) 1955 Definition of Condition 2 (G) grantee, Raj. Co-operative Society Act 1965 Section 26, Raj. Co-operative Society Rules 1966 rule 20, CCC 2009(2) 660, CCC 2009(4) 77, CCC 2012(3) 444, RBJ 2008 Page 184, RRD 2012 Page 42, DNJ 2014 (1) page 152, DNJ 2016 page 60 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि को शामिल करते हुए कुछ अन्य भूमि दुर्गा सैनिक कृषि सहकारी समिति लि0 डबली हनुमानगढ़ को आवंटित की गयी थी जिसके सदस्य रेस्पो0 सं. 1 के पिता रामसिंह थे। स्व. रामसिंह ने अपने जीवनकाल मे ही सामूहिक कृषि सहकारी समिति के नियमों के अनुसार रेस्पो0 सं. 1 को इस बाबत सहकारी समिति मे दिनांक 31.12.1972 को वारिस नियुक्त कर दिया था तथा रामसिंह की मृत्यु के बाद रेस्पो0 सं. 1 द्वारा दिनांक 25.03.81 को ही रामसिंह की जगह सदस्य नियुक्त कर दिया गया व रामसिंह की मृत्यु के बाद दुर्गा सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि0 की प्रत्येक सभा व कार्यवाही मे बतौर उत्तराधिकारी एवं सदस्य उपस्थित होता रहा। राजस्व रिकार्ड मे कथित विरासतन इन्तकाल सं. 127 के जरिये यह भूमि शांतिदेवी व उसके तीनो पत्रों के नाम कतई खिलाफ कानून व गलत दर्ज की गयी है तथा ऐसी गलत खिलाफ कानून व आधारहीन प्रवृष्टि से अपीलांट को कोई हक व अधिकार नही मिलते। प्रश्नगत भूमि मे अपीलांट का कोई हक हिस्सा नही है मात्र रेस्पो0 सं. 1 अकेला मालिक है तथा मौके पर काबिज काश्त करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की गई तथा अपीलांट की इस्तदुआ रिसीवर खारिज की गई। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे राजस्थान कॉ आपरेटिव सोसायटी एक्ट 1955 सैक्शन 26, आरआरडी 1993 पेज 415,

आरआरडी 1988 पेज 697, आरआरडी 2010 पेज 150, आरएलडब्ल्यू 2011 2० राज0 पेज 1115, आरआरडी 1987 पेज 128, आरआरडी 1990 पेज 188, आरआरडी 2011 पेज 601 तथा डीएनजे 2० राज0 पेज 783 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि जो स्व. रामसिंह अपीलाण्ट सं. 1 के ससुर व अपीलांट सं. 2 व 3 के दादा व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता को चक 16 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ मे 25.00 बीघा भूमि आवंटित थी। रामसिंह के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासतन इंतकाल सं. 127 दिनांक 23.05.94 को उनकी धर्मपत्नि शांतिदेवी व तीनो पुत्रों सुरेशसिंह व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम दर्ज व तस्दीक हुआ। अपीलांट द्वारा अपने पति सुरेश सिंह के नाम 1/3 हिस्सा के संबंध मे घोषणा वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर उक्त प्रश्नगत भूमि को रिसीवर करने बाबत अनुतोष चाहा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश पारित किया कि ''अप्रार्थीगण वाद के निर्णय तक विवादित भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण आदि नही करेगें यानि दिनांक 20.08.09 को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है।'' वादग्रस्त भूमि 25 बीघा भूमि भाखड़ा परियोजना मे भूतपूर्व सैनिको को सरकारी भूमि का आवंटन० नियम 1955 के अन्तर्गत दुर्गा सैनिक कृषि सामूहिक सहकारी समिति के सदस्य श्री रामसिंह को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि के संबंध मे आवंटी रामसिंह द्वारा अपने पुत्र जगदीशसिंह को दिनांक 31.12.72 को उत्तराधिकारी/नॉमिनी नियुक्त किया गया था। इस उत्तराधिकारी/नॉमिनी नियुक्ति के पत्र पर दो गवाहो के हस्ताक्षर नही होने के कारण अपीलांट द्वारा इसे विधिपूर्ण नही होने का कथन बहस के दौरान किया है। कार्यालय सहायक रजिस्टर्रि सहकारी समितियां हनुमानगढ़ द्वारा सहकारी समिति के अवसायन दिनांक 04.08.95 होने पर दिनांक 25.07.01 के पत्र के जरिये जगदीश सिंह को सदस्य के रूप मे मान्यता दी गई है। ऐसी स्थिति मे रामसिंह को आवंटित भूमि का स्वामित्व जगदीश सिंह को नॉमिनी के आधार पर होने अथवा रामसिंह के समस्त वारिसों को सामान्य उत्तराधिकार संबंधी प्रश्न का विनिश्चयन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलांटस के पति व पिता के नाम स्व. रामसिंह को आवंटित वादग्रस्त भूमि स्व. रामसिंह के देहान्त के उपरांत विरासत के आधार पर दर्ज हुई है। उक्तानुसार प्रश्नगत भूमि मे

अपीलांटस का 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे आदिनांक अंकित है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा होने के कारण वादग्रस्त भूमि इन मिडियों है। परन्तु विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति बहुत ही हार्स एवं अन्तिम रेमेडी होने के कारण रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। रिसीवर की नियुक्ति की जाकर रेस्पो0 को कब्जे से बेदखल किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलांट के 1/3 हिस्से की भूमि का विभाजन भी रिकार्ड मे नही हुआ है। उभय पक्षो के हकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में किया जाना है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट के मीन्स प्रोफिट संबंधी हितों को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर रेस्पो0 को उक्त भूमि की काश्त की स्वीकृति रेस्पो0 को दिया जाना उचित हैं।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 20.10.2014 निरस्त किया जाता है एवं चक 16 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के प.न. 77/300 कि.न. 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा यानि 6.325 मे अपीलांटस के पति व पिता सुरेशसिंह 1/3 हिस्सा यानि 2.108 है0 भूमि को 2500/– पचीस सौ रूपये० प्रति बीघा प्रति वर्ष प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर रेस्पोडेंट को काश्त करने की स्वीकृति के आदेश दिये जाते है। रेस्पोडेंट को 31 मार्च 2018 तक संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय मे विचाराधीन वाद के निर्णय तक रेस्पोडेंट प्रति वर्ष की प्रतिभूति राशि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक जमा करावे। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त राशि निर्धारित समयावधि मे जमा नही कराने की स्थिति मे प्रश्नगत भूमि मे अपीलांटस के 1/3 हिस्सा यानि 2.108 है0 भूमि को तहसीलदार टिब्बी रिसीवर के रूप मे अपने कब्जे में लेकर काश्त नीलामी की कार्यवाही करेगा। रेस्पोडेंट को मूल वाद के निर्णय तक चक 16 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के प.न. 77/300 कि.न. 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा भूमि को रहन, बैय एवं अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करने एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हरभान मीणा आर.ए.एस.०
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ